



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 25 जून, 2024

आषाढ़ 4, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या 04/2024/1004/36-03-2024-1792147

लखनऊ, 25 जून, 2024

अधिसूचना

सा०पी०नि०-17

कारखाना अधिनियम 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) की धारा 6 और धारा 112 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करती हैं उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा-115 की अपेक्षानुसार सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिये तत्सम्बन्ध में आपत्तियां और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2- उपर्युक्त नियमावली के प्रारूप के सम्बन्ध में सभी आपत्तियां और सुझाव प्रमुख सचिव, श्रम, उ०प्र० शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जानी चाहिए।

केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 45 दिनों के भीतर प्राप्त होंगे।

उत्तर प्रदेश कारखाना (चौहत्तरवाँ संशोधन) नियमावली, 2024

1-(1) यह नियमावली उ०प्र० कारखाना (चौहत्तरवाँ संशोधन) नियमावली, 2024 कहीं संक्षिप्त नाम और जायेगी। प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची-15 में
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 (जिसे आगे "उक्त नियम" कहा गया है), में नीचे कॉलम-1 में दी गयी विद्यमान अनुसूची-15 के क्रम संख्या 6 के स्थान पर कॉलम-2 में दी गयी क्रम संख्या रख दी जायेगी, अर्थात्:

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

6-महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध-किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को पैराग्राफ 4 में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में या किसी भी स्थान पर जहां ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं, नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

6-युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध-किसी भी युवा व्यक्ति को पैराग्राफ 4 में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में, या किसी भी स्थान पर जहां ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं, नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुसूची-27 में
संशोधन

3-उक्त नियमों में, नीचे कॉलम-1 में निर्धारित विद्यमान क्रम संख्या के लिए, कॉलम-2 में निर्धारित अनुसूची 27 की क्रम संख्या को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

3-महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध-किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में या किसी भी स्थान पर जहां ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं या सूत रंगाई प्रक्रिया में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

3-युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध-किसी भी युवा व्यक्ति को पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में या किसी भी स्थान पर जहां ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं या सूत रंगाई प्रक्रिया में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुसूची-28 में
संशोधन

4-उक्त नियमों में, नीचे कॉलम-1 में निर्धारित अनुसूची-28 की विद्यमान क्रम संख्या 3 के लिए, कॉलम-2 में निर्धारित क्रम संख्या को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

3-महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध-किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को पैराग्राफ 2 (सी) और 2 (डी) में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में या किसी भी स्थान पर जहां ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं, नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

3-युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध-किसी भी युवा व्यक्ति को पैराग्राफ 2 (सी) और 2 (डी) में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में या किसी भी स्थान पर जहां ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं, नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुसूची-29 में
संशोधन

5-उक्त नियमों में, नीचे कॉलम-1 में निर्धारित अनुसूची-29 में विद्यमान क्रम संख्या 3 के लिए, कॉलम-2 में निर्धारित क्रम संख्या को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

3-महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध-पैराग्राफ 2 (सी) और 2 (डी) में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में या किसी भी स्थान पर जहां ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं, किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

3-युवा व्यक्तियों से संबंधित निषेध-पैराग्राफ 2 (सी) और 2 (डी) में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन में या किसी भी स्थान पर जहां ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं, किसी भी युवा व्यक्ति को नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आज्ञा से,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4/2024/1004/XXXVI-03-2024-1792147, dated June 2024 :

No. 04/2024/1004/XXXVI-03-2024-1792147

Dated Lucknow, June 25, 2024

THE following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sections 6 and 112 of the Factories Act, 1948 (Act no. 63 of 1948) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) are hereby published as required by section 115 of the said Act of 1948 for the information of all concerned and with a view to invite objections and suggestions in respect thereof.

All objections and suggestions with respect to the above said draft rules should be sent in writing addressed to the Principal Secretary, Shram Anubhag-3, Uttar Pradesh Shasan, Babu Bhawan, Lucknow.

Only those objections and suggestions which are received within forty-five days from the date of publication of this notification in the *Gazette*, shall be taken into consideration.

DRAFT RULES

THE UTTAR PRADESH FACTORIES (SEVENTY FOURTH AMENDMENT) RULES, 2024

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Factories (Seventy fourth Amendment) Rules, 2024. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2. In the Uttar Pradesh Factories Rules, 1950 (hereinafter referred to as the ("said rules") for the existing serial number 6 of Schedule XV set out in Column-I below the serial number as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:- Amendment of Schedule XV

COLUMN-I

Existing serial number

6. Prohibition relating to women and young persons-No woman or young person shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in Paragraph 4, or at any place where such operations are carried on.

COLUMN -II

Serial number as hereby substituted

6. Prohibition relating to young persons-No young person shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in Paragraph 4, or at any place where such operations are carried on.

3. In the said rules, for the existing serial number 3 set out in Column-I below the serial number of Schedule XXVII as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:- Amendment of Schedule XXVII

COLUMN-I

Existing serial number

3. Prohibition relating to women and young persons- No women or young person shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in Paragraph 2 or at any place where such operations are carried on or at yarn dyeing process.

COLUMN -II

Serial number as hereby substituted

3. Prohibition relating to young persons- No young person shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in Paragraph 2 or at any place where such operations are carried on or at yarn dyeing process.

4. In the said rules, for the existing serial number 3 of Schedule XXVIII set out in Column-I below, the serial number as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:- Amendment of Schedule XXVIII

<u>COLUMN-I</u>	<u>COLUMN -II</u>
<i>Existing serial number</i>	<i>Serial number as hereby substituted</i>
3. Prohibition relating to women and young persons- No women or young person shall be employed or permitted to work in any operations specified in Paragraph 2 (c) and 2 (d) or at any place where such operations are carried on.	3. Prohibition relating to young persons- No young person shall be employed or permitted to work in any operations specified in Paragraph 2 (c) and 2 (d) or at any place where such operations are carried on.

Amendment of
Schedule XXIX

5. In the said rules, *for* the existing serial number 3 of Schedule XXIX set out in Column-I below, the serial number as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

<u>COLUMN-I</u>	<u>COLUMN -II</u>
<i>Existing serial number</i>	<i>Serial number as hereby substituted</i>
3. Prohibition relating to women and young persons- No women or young person shall be employed or permitted in any of the operations specified in Paragraph 2(c) and 2(d) or at any place where such operations are carried on.	3. Prohibition relating to young persons- No young person shall be employed or permitted in any of the operations specified in Paragraph 2(c) and 2(d) or at any place where such operations are carried on.

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.